अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के ही कब्जे में चली आ रही थी। बंटवारे हेतु समस्त रिश्तेदारों एवं ग्रांम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच बातचीत हुई थी तथा तत्पश्चात ही 10 बीघा आराजीयात को छोडकर शेष हिस्सा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पास रहा तथा 10 बीघा आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 1 के हको तक छोडा गया था जिसमें भी फसल आदि काश्त कर उसकी उपज का भुगतान प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को किया जाता था। अप्रार्थी संख्या 1 की सेवा भ्झी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने ही की तथा उसके सम्पूर्ण इलाज का खर्चा भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने ही लगाया। प्रार्थी द्वारा की गई सेवा सुश्रुषा व समस्त सामाजिक दायित्वो के निर्वहन से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी से पूर्णतया संतुष्ट था तथा इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 ने एक दस्तावेज रिलीज डीड दिनांक 07.11.2015 को प्रार्थी के पक्ष में तहरीर व तकमील करवायी तथा इस दस्तावेज के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित कृषि आराजीयात में अपने 1/3 हिस्से में से 2/5 हिस्सा यानि कि कुल आराजी का 2/15 हिस्सा प्रार्थी को रिलीज कर दिया तथा इस हेतु रिलीज डीड पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिये तथा कब्जा भी सुपुर्द कर दिया, इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 686 में अप्रार्थी संख्या 1 ने जो कि मौके पर बाडे के रूप में थी, अपना समस्त हिस्सा प्रार्थी को बेचान कर दिया। दिनांक 07.11.2015 को दस्तावेज तहरीर किये जाने के उपरांत प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी 2/15 वें हिस्से पर विधिवत रूप से तथा खसरा नम्बर 686 के सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज हो गया। आराजीयात के 1/3 हिस्से का प्रार्थी खातेदार कृषक पूर्व में ही था तथा 2/15 हिस्से का खातेदार कृषक रिलीज डीड के जरिये हो गया इस प्रकार 7/15 हिस्से का खातेदार हो गया वहीं खसरा नम्बर 686 का वह 2/3 हिस्से का खातेदार कृषक हो गया। दिनांक 01.12.2022 को प्रार्थी अपनी आराजी पर था तभी कुछ अजनबी व्यक्ति प्रार्थी की आराजीयात पर आये तथा उसे कहा कि इस बार तो तुमने फसल काश्त कर ली है, अगली बार से तुम इसमें फसल काश्त नही करोगे तथा देवकरण के हिस्से की आराजीयात को हम काश्त करेंगे तथा प्रार्थी से लडाई झगडा करने लगे। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से बातचीत करने की कोशिश की तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया तथा वह स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन लोगो के प्रभाव में दिखा जिनकी नियत अप्रार्थी संख्या 1 की सम्पत्ति में रही थी। प्रार्थी के द्वारा जब राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की तो उसे ज्ञात हुआ कि आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम दर्ज नही हो सकी है जिसके कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक वादवर्णित आराजीयात में प्रार्थी के कब्जे, उपयोग, उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने, आराजीयात को अन्य किसी भी व्यक्ति को रहन, बक्षीस, विक्रय अथवा अन्तरण नही करने, आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थनापत्र का पेरा संख्या 1 के क्रम में प्रार्थी ने कतई गलत, झूठे, मिथ्या एवं निराधार तथ्यों के आधार पर झूठा वाद पेश किया है। पेरा संख्या 2 में वाद वर्णित आराजी ग्राम काली तलाई खेडा का होना स्वीकार है। पेरा संख्या 3 में आसजी मृतक गोकल की होना एवं प्रार्थी व अप्रार्थी का 1/3 हिस्सा होना स्वीकार है तथा शेष कथन काल्पनिक एवं बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी एवं प्रार्थी के मध्य पूर्व में किसी प्रकार का बंटवारा नही हो रखा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने 1/3 हिस्से की आराजी में से 10 बीघा भूमि का हक कभी भी प्रार्थी के पक्ष में नही छोडा गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 की कोई सेवा इलाज नही किया है। प्रार्थी ने बिना रिकॉर्ड झूठा कथन किया है। पेरा संख्या 4 अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा तथाकथित अंकित दिनांक 07.11.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 ने किसी प्रकार का दस्तावेज रिलीजडीड बाबत तहरीर नही किया है। पेरा संख्या 5,6,7,8, 9,10,11,12 गलत/काल्पनिक/मनगढंत होने से अस्वीकार है। वर्णित आराजी खसरा नम्बर 686 में अप्रार्थी संख्या 1 का रिकॉर्डेड हिस्सा एवं संयुक्त कब्जा काश्त है। वाद वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का मात्र 1/3 हिस्सा है एवं अप्रार्थी संख्या 1 का भी 1/3 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 2 के

मध्य पूर्व में किसी प्रकार का लिखित बंटवारा अथवा समझोता वाद वर्णित आराजीयात बाबत निष्पादित नही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 01.06.2022 से ही बाधा एवं अवरोध उत्पन्न करते हुए झगडा फसाद करने से अप्रार्थी संख्या 1 को पूर्व में ही बंटवारे का वाद प्रस्तुत करना लाजमी हो गया था जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2022 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर रखी है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रार्थनापत्र में प्रार्थी की ओर से दिनांक 28.06.2022 को अपने अभिभाषक का वकालतनामा पेश करवा दिया गया था एवं प्रार्थी की जानकारी में तब ही राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रार्थनापत्र की जानकारी हो चुकी थी। वादवर्णित आराजीयात से किसी भी दृष्टि से अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा विलोपित नही किया जा सकता है तथा खसरा नम्बर 686 पर अकेले प्रार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जा सकता है एवं सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन जारी नही की जा सकती है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा आराजीयात का हिस्सा कभी भी प्रार्थी के पक्ष में नही छोडा है और ना ही कभी किसी प्रकार का दस्तावेज रिलीजडीड बाबत तहरीर किया। प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी पर अप्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित है। अनरजिस्टर्ड फर्जी बनावटी दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी को आराजी से वंचित किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी 20 वर्षो से अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी की देखभाल एवं काश्त प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ही की जा रही है। पक्षकारान के बीच 20 वर्ष पूर्व ही पारिवारिक बंटवारा किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी ने कुल 10 बीघा आराजी अपने हक में रखी थी। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 07.11.2015 को प्रार्थी के पक्ष में रिलीज डीड तहरीर व तकमील करवायी जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के 1/3 हिस्से में से 2/5 हिस्सा प्रार्थी को रिलीज कर दिया इस प्रकार प्रार्थी 7/15 हिस्से का खातेदार हो गया है तथा खसरा संख्या 686 का अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना समस्त हिस्सा प्रार्थी को बेचान कर दिया है जिससे खसरा संख्या 686 का प्रार्थी 2/3 हिस्से का खातेदार कृषक है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के नायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया प्रकरण और सुविधा का सन्तुलन भी पाया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनो ही पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम काली तलाई का खेडा के खाता संख्या नया–पुराना 58–43 कुल किता 12 पर एक दूसरे के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें तथा आराजीयात के रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनयों रखे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर (राजस्थान)
राजस्व प्रार्थना पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र [illegible] / 2022 (2022 / 822)

1. करतार पुत्र गोकल जाट निवासी काली तलाई का खेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थी

बनाम

1. देवकरण पुत्र गोकल
2. सूरजकरण पुत्र गोकल
   जाति जाट निवासीगण ग्राम काली तलाई का खेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. उपपंजीयक एवं तहसीलदार केकड़ी
4. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर

—अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश शर्मा –प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री हेमराज कानावत – अप्रार्थीगण 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम दि. 13/5/23

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम काली तलाई का खेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	क्षैत्रफल / रकबा (है0)	किस्म
58–43	315	1.81	नहरी 1
	358	0.97	नहरी 2
	407	1.48	नहरी 2
	475	3.50	बारानी 2
	475 / 858	0.49	चाही 3 जाव 3
	476	0.01	आबादी
	477	0.13	गै.मु.पाल
	478	0.26	बारानी 2
	481	0.06	बारानी 2
	686	0.15	नहरी 1
	704	0.55	नहरी 1
	729	0.42	नहरी 1
	किता 12	रकबा 9.83 हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात जो कि स्व. श्री गोकल की आराजीयात थी में, प्रार्थी का 1/3, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 तथा अप्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा था तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार आराजीयात को काश्त करते चले आ रहे थ। वादवर्णित आराजीयात का बंटवारा भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य कई वर्षो पूर्व किया जा चुका था तथा क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 वृद्ध था तथा उससे अपनी आराजीयात की देखरेख नही होती थी अतः सम्पूर्ण आराजी 20 वर्षो से लगातार प्रार्थी एवं